सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 251/17 **निर्णय दिनांक : 8.2.2018**

1. नायबसिंह पुत्र केसरसिंह जाति जटसिख निवासी 73 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी वार्ड नम्बर 3, दन्तौर तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 28–05–1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़, मु. बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री लेखराम धतरवाल, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 28–05–1999 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने चक 16 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 220/19 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि विशेष आवंटन के तहत आवंटन किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को

कोई नोटिस जारी किये बिना अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि अपीलांट भूमि आवंटन हेतु सबूतों व 35 प्रतिशत राशि सहित उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया। अपीलांट/प्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आया। अतः आवंटन सलाहकार समिति की राय से आवेदन निरस्त किया जाता है। जबकि अपीलांट को अदालत मातहत द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया जिससे अपीलांट को आवंटन की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांट को सूचना दी जाती तो अपीलांट विधिवत किश्तें जमा कराने को तैयार था व आज भी तैयार है। अदालत मातहत द्वारा विधिवत तामील कराये बिना पत्रावली पेशी में लेकर जैर अपील आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है।

अदालत मातहत द्वारा दिनांक 28—05—1999 को बिना अपीलांट को कोई नोटिस दिये बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये सरासर एकतरफा तौर पर अपीलांट का आवंटन निरस्त किया है जो कानून व विधि विरूद्व होने से खारिज योग्य है। अपीलांट को अदालत मातहत द्वारा जो नोटिस जारी किये गये है उनकी तामीली का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अदालत मातहत द्वारा जारी अपीलाधीन आदेश मनमाना व जल्दबाजी में पारित किया गया आदेश है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी को 35 प्रतिशत राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किये किन्तु निर्धारित राशि जमा नहीं करवाई गई। अतः अपीलांट/प्रार्थी का आवेदन निरस्त किया जाता है।

पत्रावली में अपीलांट को नोटिस तो जारी किये गये है, परन्तु किसी भी नोटिस की तामील अपीलांट को नहीं हुई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार के बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28—05—1999 के विरूद्व अपील दिनांक 14—07—17 को पेश की है। जो करीब 18 वर्ष से अधिक विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट को अदालत मातहत द्वारा विधिवत नोटिस जारी किये जाने के बावजूद अपीलांट निर्धारित राशि 35 प्रतिशत जमा कराने हेतु हाजिर नहीं हुआ। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन इस आधार पर खारिज किया है कि अपीलांट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आया। अतः अपीलांट आवंटन का इच्छुक नहीं रहा है अतः अपीलांट का आवंटन खारिज किया है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा विशेष आवंटन के तहत चक 16 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 220/19 में 25 बीघा अनकमाण्ड कुल तादादी 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि विशेष आवंटन के तहत आवंटन किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

(2) अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को स्वीकृत भूमि की निर्धारित 35 प्रतिशत राशि जमा कराने हेतु नोटिस व चालान राशि 26766/— जारी किया गया। अपीलांट द्वारा उपरोक्त नोटिसों के जारी होने के उपरान्त भी निर्धारित राशि का 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई गई। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट जानबूझकर अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आया व आवंटन का इच्छुक नहीं रहा है।

(3) चूंकि अपीलांट द्वारा बावजूद सूचना निर्धारित समयावधि में न तो स्वयं उपस्थित आया ना ही आवंटित भूमि की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई गई। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटित भूमि का कब्जा लेने का इच्छुक नहीं रहा है। चूंकि अपीलांट ने आवंटन शर्तो की पालना समयावधि में नहीं की इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का आवंटन इस आधार पर खारिज किया है कि प्रार्थी सूचना मिलने के बाद उपस्थित नहीं हुआ है तथा वह भूमि आवंटन का इच्छुक नहीं रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अतः अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 28—05—1999 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर